POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 01 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

पिछले साल समाजसेवी अन्ना हजारे ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अनाचार के खिलाफ जोरदार बिगुल बजाया। इससे आमजन और खासतौर से देश का युवा वर्ग जागा। नतीजतन पहली बार संसद में केन्द्र सरकार जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हुई।

उसने अन्ना हजारे की मांगों के माफिक लोकपाल विधेयक को संसद में पारित कराने का वचन भी दिया। देखा गया है कि संसद के हाल ही शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार फिर से नई राजनीतिक चालें चलने लगी। लेकिन यह साफ है, अब सरकार व विपक्ष के लिए आमजन के सामने अन्ना से किए वादों से मुकरना आसान नहीं होगा।

यह भी निश्चित है, यह साल देश की राजनीतिक सोच में नया परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। मजबूत लोकपाल विधेयक, विदेशों में जमा काले धन की वापसी, खाद्य सुरक्षा, बढ़ती महंगाई पर नियत्रंण, विश्वव्यापी मंदी से निपटना, युवाओं को रोजगार, महिला आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर सरकार को फैसले लेने होंगे। प्रशासनिक सिस्टम में भी सुधार लाना होगा।

संसद और विधान सभाओं में शोरगुल, पक्ष-विपक्ष की आपसी तना-तनी, छोटे-छोटे मुद्दों पर बहिर्गमन व कार्यवाही नहीं चलने देना जैसी हरकतें अब आम जनता को अखरने लगी हैं। जनता चाहती है कि सरकार और विपक्ष देशहित और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस को अहमियत दें। इससे हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर तक स्थाई विकास को बल मिल सकेगा।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं।

यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है। इस बार का यह पुरस्कार 29 नवम्बर, 2011 को 'कट्स' द्वारा ग्रेनिर्का परियोजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

उन्होंने वर्ष 2010 के लिए चयनित 'भ्रष्टाचार' विषय पर की गई उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए स्वतन्त्र पत्रकार लक्ष्मी लाल सालवी (लखन सालवी) को पुरस्कार स्वरूप 10 हजार रुपए की राशि का चैक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

गरीबों के हिस्से सिर्फ एक पैसा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केन्द्र सरकार एक रुपया गरीबों के लिए भेजती है तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन अब हालात यहां तक बदल चुके हैं कि गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं में उस तक एक रुपए में से सिर्फ एक पैसा ही पहुंच रहा है।

हाल ही देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जीएस सिंघवी और न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने गरीबों की पीड़ा का इजहार करते हुए कहा कि एक रुपए में से एक पैसा ही गरीबों तक पंहुच रहा है। जबकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दलालों व अफसरों को न मिल कर गरीबों को ही मिलना चाहिए।

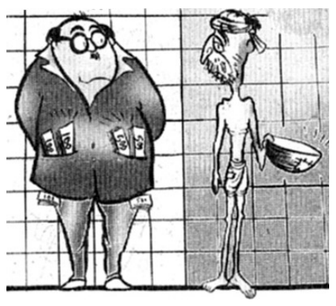

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा को ज्यूरी नियुक्त करते हुए इसके कारणों का पता लगाने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने सभी सरकारी महकमों को कहा है कि वे श्री मल्होत्रा को चाहा गया विवरण मुहैया कराएं।

गांवों में नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल

प्रदेश में करीब 34 हजार से भी ज्यादा गांव-ढाणियां शुद्ध पीने के पानी के लिए तरस रही हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड, खारापन और नाइट्रेट की समस्या प्रदेश के हर जिले में है। इससे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और भरतपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन्हीं जिलों की 90 फीसदी गांव-ढाणियां पीने का साफ पानी नहीं होने से अनेक बीमारियों से जूझ रही हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए करीब 50 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। प्रदेश के सीमित संसाधनों के चलते इतनी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर फंड देने की मांग की है।

मनरेगा में बदलेगा भुगतान का तरीका

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया है कि जल्द ही मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मजदूरी का भुगतान देर से होने पर पायलट परियोजना के तहत चुनिंदा जिलों में मजदूरी का कुछ हिस्सा अग्रिम दिए जाने की कवायद पर भी विचार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जिस दिन मनरेगा श्रमिकों को भुगतान किया जाये, उस दिन भुगतान प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। इससे पूरी पारदर्शिता आयेगी और यह देखा जा सकेगा कि किसको मजदूरी मिल रही है और किसको नहीं। यह काम उन जगहों पर किया जाएगा जहां डाक विभाग या बैंक नहीं हैं।

भारत की आधी आबादी गरीब

भारत की औसतन करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह लगभग 49 रुपए रोजाना से भी कम कमाई पर गुजारा करती है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

गरीबी के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो कारक तय किए हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, खाना बनाने को ईंधन मिल पाना, घर में मूलभूत जरूरत की चीजें होना और घर के निर्माण का स्तर आदि शामिल किए गए हैं। इन सभी कारकों के आधार पर 41.6 फीसदी आबादी गरीब हैं। इसका मतलब है कि उनके पास यह सुविधाएं नहीं हैं।

बीमारियों की कई जांचें होंगी निःशुल्क

प्रदेश में जननी-शिशु सुरक्षा और मुफ्त दवा योजना के बाद केन्द्र सरकार की ओर से अप्रेल माह से राजस्थान समेत पूरे देश के सभी सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व कैंसर जैसी असंक्रामक बीमारियों की निःशुल्क जांच की व्यवस्था शुरू करना प्रस्तावित है।

फिलहाल यह योजना प्रदेश के दो जिलों अजमेर और भीलवाड़ा में चल रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और 30 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए सभी राज्यों से आंकड़े, जांच उपकरण तथा स्टाफ की जानकारी मांगी गई है।

किसानों की सब्सिडी खा गए अफसर

केन्द्र सरकार के भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.(एसएफसीआई) की ओर से बीज उत्पादन कार्यक्रम में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। प्रदेश में बीज उत्पादन के बदले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को हड़पने के लिए अफसरों ने फर्जी कागजात तैयार किए और एक करोड़ 70 लाख रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ी निगम के किशनगढ़ रेनवाल यूनिट मे सामने आई।

जांच में सामने आया कि यहां 100 किसानों से चना और 29 किसानों से गेहूं का बीज उत्पादन करना बताया। कागजों में यह उत्पादन दिखा कर अधिकारियों ने सब्सिडी की 80 फीसदी राशि एक करोड़ 70 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान दिखा दिया। जबकि असल में यह राशि किसानों तक पहुंची ही नहीं।

जांच कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भी भिजवाई गयी। केन्द्र ने बीज उत्पादन कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और सब्सिडी राशि की वसूली के आदेश दिए हैं।

यह कैसा विद्युत सुधार ?

गरीब और मध्यमवर्ग पहले से ही महंगाई की मार से पिसा जा रहा है। ऊपर से बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी है। पिछली बार गहलोत सरकार के शासन में बिजली सुधार के नाम पर यह व्यवस्था की गई। लेकिन कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। न तो बिजली छीजत में कमी आई और न ही बिजली चोरी में। कहा यह जाता है कि कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है?

कंपनियों की लापरवाही से हो रही बिजली छीजत और चोरी का खमियाजा भी उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। आए दिन होने वाली मनमर्जी की बिजली कटौति ने शहरी और ग्रामीणों की नींद हराम कर दी है। ढ़ाणी, गांव हो या कस्बा, प्रदेश के हर हिस्से में बिजली कटौति हो रही है। एक और बिना गुणवत्ता की बिजली ऊपर से उपभोक्ताओं की जेब पर करंट? क्या इसे व्यवहारिक कहा जा सकता है?

- बाल मुकुन्द आचार्य, जोधपुर

खाद्य सुरक्षा बिल को मिली मंजूरी

महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय केबिनेट की विशेष बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से देश की 63.5 फीसदी आबादी को सस्ता अनाज प्राप्त करने की गांरटी मिलेगी। करीब 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी को इस योजना का फायदा मिलेगा। जरूरतमंदों को योजना के तहत गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए किलो की दर से मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें अन्य खाद्य सुविधाएं भी दी जाएगी। जैसे गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक आहार के साथ छह माह तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन दिया जाएगा। इस कानून के क्रियान्वयन पर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना में कृषि उत्पादन को भी तबज्जो दी जाएगी।

गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में छात्रों को मंजूर की गई छात्रवृत्ति में करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जयपुर जिले में 15 से भी अधिक कम्प्यूटर, अन्य संस्थानों व कॉलेजों ने विद्यार्थियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर छात्रवृति के नाम पर यह राशि उठा ली।

कमाल की बात यह है कि विभाग में हर साल छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों करोड़ों के घोटाले सामने आते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

नीतियों का नहीं होता क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. विजय शंकर व्यास ने कहा है कि राज्य सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन उसका समय पर क्रियान्वयन नहीं होता।

राजस्थान में पंचायतीराज को पांच विभाग देने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ। इससे धरातल पर वह प्रभाव नहीं दिख रहा जिस भावना से यह विभाग दिए गए थें। उन्होंने कहा कि महगांई बढ़ने का कारण खाली मांग और आपूर्ति ही नहीं, इसमें जमाखोरों का भी बड़ा हाथ रहा है।

प्रदेश में लागू हुआ लोक सेवा गांरटी कानून

- राज्य सरकार ने प्रदेश में 14 नवम्बर से 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गांरटी अधिनियम-2011' लागू कर दिया है।
- इस कानून में आम लोगों के रोजाना काम पड़ने वाले 15 विभागों की 53 सेवाओं को शामिल किया गया है। हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है।

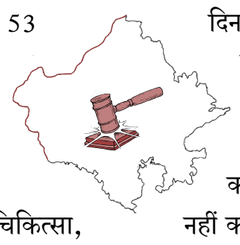

- 15 विभागों में ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, जन स्वास्थ्य, राजस्व, नगरीय विकास, आवासन, खाद्य, वित्त, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, जेडीए व यूआईटी विभाग शामिल है। इन विभागों की आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है।
- आप सम्बन्धित विभाग से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस काम को करने के लिए कितने दिन की अवधि तय की गई है। आप अपने काम के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे, उसकी रसीद प्राप्त करना आपका हक है।
- सम्बन्धित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियत समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करने पर उसपर 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकेगी।
- यदि आप कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो, आपको उस विभाग के अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है।

बैंकिंग नहीं यह लूट है-बैंक दे आठ लाख का जुर्माना

वैशाली नगर में रहने वाले डॉ. आलोक सक्सेना ने उपभोक्ता मंच, जयपुर में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ अपने वकील के जरिए परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में मंच को जानकारी देते हुए बताया कि उसने 2006 में बैंक से 5 लाख 25 हजार रुपए का ऋण लिया था। कुछ किश्तें देने के बाद उन्होंने पूरे ऋण की अदायगी के लिए 4 लाख 99 हजार 769 रुपए बैंक को चुकाकर पूरा भुगतान प्राप्त करने की रसीद ले ली थी। इसके बाद भी बैंक ने उनपर 56 हजार 414 रुपए बकाया निकाल दिए। इसके बाद बैंक की ओर से धमकी भरे फोन भी आने लगे। यहां तक कि उनका नाम क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो लि.की ब्लैक लिस्ट में भी दर्ज करा दिया।

मामले की सुनवाई पर बैंक अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि बकाया रकम किस बात के लिए ली जा रही है। मंच ने पूरा हिसाब-किताब लगाया तो पाया कि बैंक का रवैया उपभोक्ता को धोखा देने जैसा है। बैंक की इस करतूत को मंच ने लूट करार दिया। उपभोक्ता मंच ने परिवादी पर निकाले बकाया 56 हजार 414 रुपए निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। मंच ने बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें से एक लाख रुपए परिवादी को अदा करने होंगे और 7 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने होंगे। इसके अलावा बैंक को परिवादी की ओर से जमा कराई अधिक राशि पर आठ माह का ब्याज देने और परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए भी अदा करने के आदेश मंच द्वारा दिए गए हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर